नीति निदेशक सिद्धान्तों का महत्व (Importance of Directive Principles)

संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से नीति निदेशक सिद्धान्तों का बहुत अधिक महत्व है। न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार, यदि हमारे संविधान में कोई भाग ऐसे हैं जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वे हैं भाग तीन और चार। उनमें हमारे संविधान का दर्शन निहित है और लेखक के शब्दों में, "वे हमारे संविधान की अन्तरात्मा है।"

डॉ. पायली के अनुसार इन निदेशक सिद्धान्तों का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व है।

(i) निदेशक सिद्धान्तों के पीछे जनमत की शक्ति (Power of Public Opinion behind the Principles) - यद्यपि इन निदेशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की सत्ता होती है, जो प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इनका बार-बार उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा। निदेशक सिद्धान्तों के पीछे जनमत की इस शक्ति के कारण शासक दल को इनकी क्रियान्विति के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय देना होगा। प्रो. पायली के अनुसार ये निदेशक सिद्धान्त राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है, वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। आलोचक राघवाचारी भी स्वीकार करते है कि जो शासन सत्ता पर आधिपत्य बना, उसे इस अनुदेश-पत्र का आदर करना ही होगा.... आगामी आम चुनाव में उसे इस सम्बन्ध में निर्वाचकों को जवाब देना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्री अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि " कोई भी लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल

संविधान के चतुर्थ भाग के उपबन्धों के उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता है।

(ii) चरम सीमाओं के एक बीमा (An Insurance against Extremes) - हमारे संविधान निर्माता इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे कि प्रजातान्त्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के परिणामस्वरूप विभिन्न समयों में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो सकते हैं। कभी दक्षिणपन्थी दल शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है और कभी कोई वामपन्थी दल। निदेशक सिद्धान्त वैसी प्रकार की सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हें किसी प्रकार का एक तरफ झुकाव रखने से रोकेंगे।

(iii) नैतिक आदर्शों के रूप में महत्व (Importance as Moral Ideals) - यदि निदेशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएं ही मान लिया जाए, तो इस रूप में भी उनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मेग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा अमरीकी संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी अनुशास्ति प्राप्त नहीं, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इसका प्रभाव पड़ा है। यही प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निदेशक सिद्धान्त भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे।

(iv) संविधान की व्याख्या में सहायक (Helpful in the Interpretation of the Constitution) - संविधान के अनुसार निदेशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएँ उनके द्वारा निर्देशित होंगी।

(v) शासन के मूल्यांकन का आधार।

(vi) कार्यपालिका इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं।

वास्तव में, निदेशक सिद्धान्त भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धान्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री कृष्णा ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद पर निर्णय देते हुए कहा था, क्योंकि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान में शामिल हैं, इसलिए वे बहुमत दल की अस्थायी आदेश मात्र ही नहीं हैं, वरन उनमें राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छित बोल रही है जो संविधान सभा के सदस्यों से व्यक्त हुई थी।